भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1005

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना है

लद्दाख में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाना

1005. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने लद्दाख में टैक्सी चालकों और वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यंत्र (वीएलटीडी) लगाने में वित्तीय बोझ और तकनीकी कठिनाइयों और पुराने वाहनों के लिए पंजीकरण के अनिवार्य नवीकरण के संबंध में उठाई गई चिंताओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुपालन करने में संघर्ष कर रहे छोटे परिवहन प्रचालकों के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन अथवा सहायता जैसी कोई वित्तीय या संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि वीएलटीडी का प्रवर्तन दूर-दराज के क्षेत्रों में परिवहन कामगारों की आजीविका को अनजाने में प्रभावित न करे जहां सेवा केन्द्र और डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लद्दाख में वाणिज्यिक वाहनों के लिए राज्य परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को परिचालन सम्बंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो लद्दाख में राज्य परमिट जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यंत्र (वीएलटीडी) तथा आपातकालीन बटन की लगाने की आवश्यकता केंद्रीय मोटर नियमावली, 1989 के नियम 125एच के माध्यम से लागू की गई है। यह प्रावधान निर्भया मामले के उपरांत गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सम्मिलित किया गया था, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली तथा आपातकालीन बटन लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

उक्त प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए, सरकार द्वारा नियामक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनके अंतर्गत परिचालन एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक सेवा वाहनों में एआईएस-

140 अनुरूप वीएलटीडी की चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया है। इसमें 31.12.2018 को या उसके उपरांत पंजीकृत नए वाहन, पुराने वाहन, राष्ट्रीय परमिट वाहन तथा एन2 एवं एन3 श्रेणी के जोखिमपूर्ण माल वहन करने वाले वाहन शामिल हैं।

उक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन का दायित्व, भू-भाग की स्थिति, सेवा केंद्रों की उपलब्धता तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हुए, समग्र वैधानिक ढांचे के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निभाया जा रहा है।

छोटे परिवहन संचालकों को वीएलटीडी की लगाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता अथवा लॉजिस्टिक सहायता प्रदान नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक वाहनों के लिए राज्य परमिट जारी किए जाने के संबंध में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परमिट जारी किए जाते हैं। तथापि, वाहन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वर्ष 2026 में अब तक 100 से अधिक परमिट जारी किए जा चुके हैं।

*****